संख्या– 632/05/खाद्य/2004

प्रेषक,

उत्पल कुमार सिंह,
सचिव,
उत्तरांचल शासन ।

सेवा में,

आयुक्त,
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग,
उत्तरांचल, देहरादून ।

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति अनुभाग देहरादूनः दिनांकः20 अगस्त, 2004

विषयः– राज्य आयोग उपभोक्ता संरक्षण तथा जिला फोरमों के लिए नई मांग के माध्यम से पदों का सृजन तथा वित्तीय स्वीकृति के संबंध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि महामहिम राज्यपाल वर्तमान वित्तीय वर्ष 2004–05 में राज्य आयोग उपभोक्ता संरक्षण तथा जिला उपभोक्ता फोरमों के लिए निम्नलिखित अस्थाई पदों को उनके सम्मुख अंकित वेतनमान में इस आदेश के निर्गत होने अथवा नियुक्ति की तिथि, जो भी बाद में हो, से दिनांक 28–2–2005 तक के लिए, बशर्ते कि यह पद बिना किसी पूर्व सूचना के इससे पूर्व समाप्त न कर दिये जांय, सृजित किये जाने तथा संलग्न विवरणानुसार आय–व्ययक में व्यवस्थित रूपये 22.98 लाख (रूपये बाइस लाख अट्ठानवें हजार मात्र) की धनराशि के व्यय की भी सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

राज्य आयोग उपभोक्ता फोरम

क0सं0	पदनाम	पदों की संख्या	वेतनमान (रू0 में)
1	रिकार्ड कीपर (एल0डी0सी0)	1	3050– 75–3950–80–4590
2	लिपिक	1	3050– 75–3950–80–4590
	योग (दो मात्र)	2	

जिला उपभोक्ता फोरम

क0सं0	पदनाम	पदों की संख्या	वेतनमान (रू0 में)
1	आशुलिपिक	13	4000–100–6000
	योग (तेरह मात्र)	13	

2– उक्त पदों पर वेतन के अलावा शासन द्वारा समय–समय पर प्रसारित आदेशों के अनुसार अनुमन्य मंहगाई भत्ता व अन्य भत्ते आदि भी देय होंगे ।

3– उक्त पदों पर नियुक्ति आवश्यकतानुसार की जाये।

4– उक्त पदों पर नियुक्ति प्रदेश के छटनीशुदा कार्मिकों अथवा सरप्लस पूल से आवश्यकतानुसार ही की जायेगी।

5– स्वीकृत पदों पर होने वाला व्यय करते समय वित्तीय हस्तपुस्तिका,बजट मैनुअल,स्टोर पर्चेज रूल्स एवं मितव्ययता संबंधी शासन के समय–2 पर जारी निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जायेगा ।

6– उपकरणों आदि का क्रय डी0जी0एस0 एण्ड डी0 अथवा टेण्डर/कुटेशन विषयक नियमों का अनुपालन करते हुये किया जायेगा। फर्नीचर आदि का क्रय पदधारक के मानक के अनुसार ही किया जाये।

7– यह सुनिश्चित किया जाय कि स्वीकृत धनराशि किसी ऐसे मद पर व्यय न की जाय जिसके लिए वित्तीय हस्तपुस्तिका तथा बजट मैनुअल के नियमों के अन्तर्गत सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता हो, उस प्रकरण में व्यय के पूर्व यह आवश्य प्राप्त कर ली जाय ।

8– स्वीकृत की जा रही धनराशि का एकमुश्त आहरण न करके आवश्यकतानुसार किया जायेगा तथा व्यय का पूर्ण विवरण यथा समय प्रत्येक माह बी0एम0–13 पर शासन को उपलब्ध कराया जायेगा ।

9– इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2004–05 के आय–व्ययक की अनुदान संख्या–25, लेखाशीर्षक–3456–सिविल पूर्ति–00–आयोजनेत्तर–001–निदेशन तथा प्रशासन–04–उपभोक्ता संरक्षण कार्यक्रम–00–के अंतर्गत स्थापित निदेशालय के अंतर्गत सुसंगत इकाइयों के नामें डाला जायेगा ।

10– यह स्वीकृति वित्त विभाग के अशासकीय संख्या–537/वित्त अनुभाग–3/2004 दिनांकः 16, अगस्त, 2004 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी की जा रही हैं ।

संलग्नक–यथोक्त ।

भवदीय,

(उत्पल कुमार सिंह)
सचिव ।

संख्या–632 (1) /05/खाद्य/2004, तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– महालेखाकार, उत्तरांचल, ओबेराय भवन, पटेलनगर, देहरादून।
2– अध्यक्ष, राज्य आयोग, उपभोक्ता संरक्षण, उत्तरांचल, देहरादून ।
3– अपर आयुक्त,खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, उत्तरांचल,देहरादून ।
4– वित्त नियंत्रक,खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति,उत्तरांचल,देहरादून ।
5– समस्त बरिष्ठ कोषाधिकारी,उत्तरांचल ।
6– समस्त जिला पूर्ति अधिकारी, उत्तरांचल ।
7– वित्त अनुभाग–3,उत्तरांचल शासन ।
8– समन्वयक,एनआईसी,सचिवालय परिसर,देहरादून ।
9– गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

(एम0सी0 उप्रेती)
अपर सचिव।

शासनादेश संख्या 632/05/खाद्य/2004 दिनांक 20 अगस्त, 2004 का संलग्नक ।

अनुदान संख्या–25
लेखाशीर्षक–3456–सिविल पूर्ति–00–आयोजनेत्तर–001–निदेशन तथा प्रशासन–04–उपभोक्ता संरक्षण कार्यकम के अंतर्गत स्थापित निदेशालय

कोड संख्या	मदनाम	धनराशि (हजार रू0)
01	वेतन	1000
03	मंहगाई भत्ता	210
06	अन्य भत्ते	188
12	कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण की खरीद	200
42	अन्य व्यय	200
48	मंहगाई वेतन	500
	योग(रूपये बाइस लाख, अट्ठानवें हजार मात्र)	22.98

(एम0सी0 उप्रेती)
अपर सचिव ।

C:\Mehta\Upbhokta Forum